न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्याः— 110/2025

1. उर्मिला पुत्री खेमचन्द पत्नि सुभाष, जाति जाट, निवासी बुडानिया हाल निवासी हंसासर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं (राज0)।
2. सुमित्रा पत्नि दलीप
3. सुधीरा पत्नि शहीद देवकरण सिंह
   समस्त जाति जाट, निवासी बुडानिया, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार (भू अभिलेख) चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।
2. खेमचन्द पुत्र तुलाराम
3. कृष्ण कुमार पुत्र ओमप्रकाश
4. सुनीता पत्नि ओमप्रकाश
5. पूनम पुत्री ओमप्रकाश
6. विक्रम पुत्र दलीप
7. रविन्द्र पुत्र दलीप
8. मोनू कुमार झाझडिया पुत्र शहीद देवकरण सिंह
   समस्त जाति जाट, समस्त निवासीगण बुडानिया, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं, राज0।

——रेस्पोडेन्ट्स

——

प्रथम अपील अ0धा0 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 बखिलाफ आदेश न्यायालय तहसीलदार, चिडावा नामान्तरकरण सं0 1677 दिनांक 28.05.2024 बेचान ग्राम बुडानिया, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

——

उपस्थितः—

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया, एडवोकेट— अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री विजयपाल, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट्स सं0 2 लगायत 5 की ओर से उपस्थित।
3. श्री सन्दीप बिजारिणया, एडवोकेट— रस्पोडेन्ट संख्या 6, 7 व 8 की ओर से उपस्थित।
4. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता— रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 29.08.2025

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार चिड़ावा के नामान्तरकरण आदेश संख्या 1677दिनांक 28.05.2024के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 व प्रार्थना पत्र दफा 96 जा0दी0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 व प्रार्थना पत्र दफा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। आदेश नामान्तकरण संख्या 1677 दिनांक 28.05.2024 खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है।नामान्तरकरण संख्या 1677 में वर्णित भूमि अपीलान्ट्स संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 व 6 लगायत 8 के पूर्वज तुलाराम की खातेदारी भूमि रही है। तुलाराम के देहान्त पर विरासतन उत्तराधिकार के जरिये उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को प्राप्त हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के 3 पुत्र क्रमशः ओमप्रकाश, दलीप, देवकरण व एक पुत्री संतान अपीलान्ट उर्मिला पैदा हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के तीनों पुत्रों का देहान्त हो चुका है। अपीलान्ट संख्या 2 रेस्पोडैन्ट संख्या 2 के पुत्र दलीप की पत्नी है व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 दलीप की संतान है। अपीलान्ट संख्या 3 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पुत्र शहीद देवकरण सिंह की वीरांगना है व रेस्पोडेन्ट संख्या 8 शहीद देवकरण सिंह की पुत्र संतान है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पुत्र ओमप्रकाश की पत्नी है व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पुत्र ओमप्रकाश के पुत्र व पुत्री संतान है। इस प्रकार अपीलान्ट्स संख्या 2 लगायत 8 एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की पत्नी शाना उर्फ शांति का कोरोना के समय वर्ष 2022 में देहान्त हो चुका है। इस प्रकार नामान्तरकरण आदेश संख्या 1677

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

में वर्णित भूमि अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 के संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक अविभाजित कृषि भूमि है। इस कारण भी आलौच्य नामान्तरकरण आदेश 1677 खारीज होने योग्य है। नामान्तकरण आदेश में वर्णित भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के तीनों पुत्रों व पुत्री का बहिस्सा बराबर–बराबर 1/5 हक हिस्से अनुसार सहखातेदारी रही है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बेचान की गई भूमि खसरा नं0 651 रकबा 0.34 है0 भूमि में केवल 1/5 हक हिस्सा बनता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा स्वयं के 1/5 हक हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किये जाने से विक्रय पत्र दिनांक 28.05.2024 अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 8 के हक अधिकारों पर आरम्भतः शून्य होने से शून्य विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक नामान्तकरण आदेश 1677 खारीज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की वृद्धावस्था, बीमारी व मानसिक असंतुलन का नाजायज फायदा उठाकर बालाबाला रूप से साजसी विक्रय पत्र दिनांक 28.05.2024 भूमि खसरा नं0 651 के सम्पूर्ण हक हिस्से का विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक में गल रूप से करवाया गया है। विक्रय पत्र दिनांक 28.05.2024 कानूनन आरम्भतः अवैध व शून्य होने से उक्त विक्रय पत्र दिनांक 28.05.2024 के आधार पर पारित नामान्तकरण आदेश 1677 खारीज होने योग्य है।रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम राजस्व ग्राम बुडानिया की भूमि खसरा नं0 496, 653, 706, 651 कुल खसरे 4 कुल रकबा 0.68 है0 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को विरासतन पिता तुलाराम से प्राप्त हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने भूमि खसरा नं0 651 में स्वयं की आय से मकानों का निर्माण करवाया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सेना से सेवानिवृत्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को केन्द्र सरकार से मासिक पेंशन के रूप में करीब 39,000/–रुपये प्रतिमाह मिलतें हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की पत्नी शाना उर्फ शांति देवी को शहीद देवकरण सिंह के शहीद होने पर राज्य सरकार द्वारा दो लाख रुपये सहायक राशि मिली थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व अपीलान्ट संख्या 1 की माता ने अपीलान्ट संख्या 1 के बच्चों के विवाह में अपीलान्ट संख्या 1 के भाइयों को देहान्त होने से भात खर्चा राशि के लिए अलग–अलग दो एफडी.आर. करवाई गई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खराब मानसिक स्थिति व वृद्धावस्था व बीमारी का नाजायज फायदा उठाकर बैंकों में सुरक्षित उक्त राशियां भी हड़प ली गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को सेना द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड से ईलाज व दवाइयां उपलब्ध हो रही है व मासिक रूप से 39000/–रुपये पेंशन मिल रही है इस कारण साजसी विक्रय पत्र में वर्णित प्रतिफल राशि की रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कभी कोई आवश्यकता रही है तथा न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा किसी प्रतिफल राशि का रेस्पोडैन्ट संख्या 2 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के बेटे दलीप का दिनांक 28.05.2024 को देहान्त हुआ था व दिनांक 28.05.2024 को ही दलीप का अंतिम संस्कार किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बेटे दलीप के दाह संस्कार में शामिल नहीं होने दिया और बाला बाला रूप से दलीप के दाह संस्कार के रोज दिनांक 28.05.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक में रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के पति व एक अन्य निजी गवाह बनाकर साजसी विक्रय पत्र करवाया गया है जो आरम्भतः शून्य है। इस कारण भी शून्य विक्रय पत्र के आधार पर पारित नामान्तकरण आदेश संख्या 1677 खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 शूगर, बीपी व लकवा की बीमारी से ग्रस्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को चार बार लकवा पड़ चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को नींद की गोलियां दी जा रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की पत्नी का वर्ष 2022 में देहान्त होने पर लकवा ग्रस्त होने के बाद पूरी तरह से मानसिक व शारीरिक संतुलन बिगड़ चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के सोचने–समझने की शक्ति क्षीण होने का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की सारी पूंजी राशि हड़प ली गई व उक्त साजसी विक्रय पत्र करवाया गया है। इस कारण भी नामान्तरकरण आदेश संख्या 1677 दिनांक 28.05.2024 खारिज होने योग्य है। कानूनन पैतृक सम्पत्ति के पिता के जीवनकाल में पुत्र व पुत्री संतानों का हिस्सा बराबर–बराबर हक अधिकार होता है। किसी संविदा के वैध संविदा होने के लिए संविदाकर्ता का मानसिक रूप से स्वस्थ होना कानूनन जरूरी है। किसी व्यक्ति की मानसिक विकृति की हालत में उस व्यक्ति के साथ की गई संविदा आरम्भतः शून्य होती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा करवाया गया विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की मानसिक विकृति के कारण शून्य संविदा है, इस कारण भी नामान्तरकरण आदेश संख्या 1677 खारिज होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिड़ावा द्वारा पारित आदेश नामान्तकरण संख्या 1677 दिनांक 28.05.2024 को निरस्त किया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्टस् ने बहस के दौरान नजीर 2024(1) आरआरटी 375, 2023(2) आरआरटी 1241, 2022(1) आरआरटी 467, 2024 (1) आरआरटी 353, 2023(1) आरआरटी 227, 2023(1) आरआरटी 372, 2024(2) आरआरटी 741 व 2025(1) आरआरटी 561 की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिया किनामान्तरकरण संख्या 1677 में वर्णित भूमि अपीलान्ट्स संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 व 6 लगायत 8 के पूर्वज तुलाराम की खातेदारी भूमि रही है। तुलाराम के देहान्त पर विरासतन उत्तराधिकार के जरिये उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को प्राप्त हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के 3 पुत्र क्रमशः ओमप्रकाश, दलीप, देवकरण व एक पुत्री संतान अपीलान्ट उर्मिला पैदा हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के तीनों पुत्रों का देहान्त हो चुका है। अपीलान्ट संख्या 2 रेस्पोडैन्ट संख्या 2 के पुत्र दलीप की पत्नी है व

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 दलीप की संतान है। अपीलान्ट संख्या 3 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पुत्र शहीद देवकरण सिंह की वीरांगना है व रेस्पोडेन्ट संख्या 8 शहीद देवकरण सिंह की पुत्र संतान है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पुत्र ओमप्रकाश की पत्नी है व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पुत्र ओमप्रकाश के पुत्र व पुत्री संतान है। इस प्रकार अपीलान्ट्स संख्या 2 लगायत 8 एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की पत्नी शाना उर्फ शांति का कोरोना के समय वर्ष 2022 में देहान्त हो चुका है। इस प्रकार नामान्तरकरण आदेश संख्या 1677 में वर्णित भूमि अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 के संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक अविभाजित कृषि भूमि है। इस कारण भी आलौच्य नामान्तरकरण आदेश 1677 खारीज होने योग्य है। नामान्तकरण आदेश में वर्णित भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के तीनों पुत्रों व पुत्री का बहिस्सा बराबर–बराबर 1/5 हक हिस्से अनुसार सहखातेदारी रही है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बेचान की गई भूमि खसरा नं0 651 रकबा 0.34 है0 भूमि में केवल 1/5 हक हिस्सा बनता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा स्वयं के 1/5 हक हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किये जाने से विक्रय पत्र दिनांक 28.05.2024 अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 8 के हक अधिकारों पर आरम्भतः शून्य होने से शून्य विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक नामान्तकरण आदेश 1677 खारीज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की वृद्धावस्था, बीमारी व मानसिक असंतुलन का नाजायज फायदा उठाकर बालाबाला रूप से साजसी विक्रय पत्र दिनांक 28.05.2024 भूमि खसरा नं0 651 के सम्पूर्ण हक हिस्से का विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक में गल रूप से करवाया गया है। विक्रय पत्र दिनांक 28.05.2024 कानूनन आरम्भतः अवैध व शून्य होने से उक्त विक्रय पत्र दिनांक 28.05.2024 के आधार पर पारित नामान्तकरण आदेश 1677 खारीज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम राजस्व ग्राम बुडानिया की भूमि खसरा नं0 496, 653, 706, 651 कुल खसरे 4 कुल रकबा 0.68 है0 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को विरासतन पिता तुलाराम से प्राप्त हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने भूमि खसरा नं0 651 में स्वयं की आय से मकानों का निर्माण करवाया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सेना से सेवानिवृत्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को केन्द्र सरकार से मासिक पेंशन के रूप में करीब 39,000/–रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की पत्नी शाना उर्फ शांति देवी को शहीद देवकरण सिंह के शहीद होने पर राज्य सरकार द्वारा दो लाख रुपये सहायक राशि मिली थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व अपीलान्ट संख्या 1 की माता ने अपीलान्ट संख्या 1 के बच्चों के विवाह में अपीलान्ट संख्या 1 के भाइयों को देहान्त होने से भात खर्चा राशि के लिए अलग–अलग दो एफडी.आर. करवाई गई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खराब मानसिक स्थिति व वृद्धावस्था व बीमारी का नाजायज फायदा उठाकर बैंकों में सुरक्षित उक्त राशियां भी हड़प ली गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को सेना द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड से ईलाज व दवाइयां उपलब्ध हो रही है व मासिक रूप से 39000/–रुपये पेंशन मिल रही है इस कारण साजसी विक्रय पत्र में वर्णित प्रतिफल राशि की रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कभी कोई आवश्यकता रही है तथा न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा किसी प्रतिफल राशि का रेस्पोडैन्ट संख्या 2 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के बेटे दलीप का दिनांक 28.05.2024 को देहान्त हुआ था व दिनांक 28.05.2024 को ही दलीप का अंतिम संस्कार किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बेटे दलीप के दाह संस्कार में शामिल नहीं होने दिया और बाला बाला रूप से दलीप के दाह संस्कार के रोज दिनांक 28.05.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक में रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के पति व एक अन्य निजी गवाह बनाकर साजसी विक्रय पत्र करवाया गया है जो आरम्भतः शून्य है। इस कारण भी शून्य विक्रय पत्र के आधार पर पारित नामान्तकरण आदेश संख्या 1677 खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 शूगर, बीपी व लकवा की बीमारी से ग्रस्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को चार बार लकवा पड़ चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को नींद की गोलियां दी जा रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की पत्नी का वर्ष 2022 में देहान्त होने पर लकवा ग्रस्त होने के बाद पूरी तरह से मानसिक व शारीरिक संतुलन बिगड़ चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के सोचने–समझने की शक्ति क्षीण होने का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की सारी पूंजी राशि हड़प ली गई व उक्त साजसी विक्रय पत्र करवाया गया है। इस कारण भी नामान्तरकरण आदेश संख्या 1677 दिनांक 28.05.2024 खारिज होने योग्य है। कानूनन पैतृक सम्पत्ति के पिता के जीवनकाल में पुत्र व पुत्री संतानों का हिस्सा बराबर–बराबर हक अधिकार होता है। किसी संविदा के वैध संविदा होने के लिए संविदाकर्ता का मानसिक रूप से स्वस्थ होना कानूनन जरूरी है। किसी व्यक्ति की मानसिक विकृति की हालत में उस व्यक्ति के साथ की गई संविदा आरम्भतः शून्य होती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा करवाया गया विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की मानसिक विकृति के कारण शून्य संविदा है, इस कारण भी नामान्तरकरण आदेश संख्या 1677 खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिड़ावा द्वारा पारित आदेश नामान्तकरण संख्या 1677 दिनांक 28.05.2024 को निरस्त किया जावे।

विद्वान रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 5 ने बहस के दौरान नजीर आरआरडी 1993 पेज 44, 2012 (1) आरआरटी 374, 2003 आरआरडी 276 व 2021 आरबीजे 670 की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी की खातेदारी खेमचन्द यानी रेस्पोडेन्ट 2 के नाम रही है जिसका कोई विवाद नहीं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जीवित है। अपीलान्ट खेमचन्द की पुत्री व पुत्रवधु आदि है। खेमचन्द द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि का बेचान किया है जिसकी पालना में अदालत मातहत ने नामान्तरकरण तस्दीक किया है। विक्रय पत्र को निरस्त करवाने से पूर्व अपीलान्टस नामान्तरकरण की अपील नहीं कर सकते है। यदि भूमि में अपीलान्टस का हक अधिकार बनता है तो नियमित दावा पेश करते। अपीलान्ट अपील पेश नही करनी चाहिए थी। अपीलान्टस का हक नामान्तरकरण की अपील में तय नहीं हो सकता है। अदालत मातहत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की पालना में नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु कार्यवाही करने हेतु पाबन्द है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक की कार्यवाही की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील निराधार तथ्यों पर आधारित है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान रेस्पोडेन्ट सं0 6 लगायत 8 ने बहस के दौरान अपीलान्टस की अपील स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण मे अदालत मातहत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक की कार्यवाही की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील निराधार तथ्यों पर आधारित है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1677 दिनांक 28.05.2024 विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर यह तर्क दिया है कि विवादित आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1/5 हिस्सा था परन्तु उनके द्वारा हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किया गया है। यहां अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1677 आदेश दिनांक 28.05.2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की पालना में तस्दीक किया गया है। विक्रेता के मुकाबले अपीलान्ट के अधिकार वाद में तय हो सकते है न कि नामान्तरकरण की अपील में। अपीलान्ट्स सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। अतः उक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्टस खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं